भा0कृ0अनु0परि0- भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी(उ0प्र0)

एच.ए.ओ./50वीं/आई.एम.सी./2024-25 दिनांकः 09.01.2025

परिपत्र

इस संस्थान में कार्यरत् समस्त विभागाध्यक्षों/परियोजना समन्यवक(चारा फसलों इकाई)/वरि. वित्त एवं लेखाधिकारी/सभी अनुभागों एवं इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों तथा इन विभागों/इकाईयों में कार्यरत् समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के स्टॉफ एवं उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान कराये जाने के संबंध में संस्थान प्रबंध समिति की 50वीं बैठक दिनांक 29.08.2024 को रखे गये ऐजेण्डा आइटम के अनुसार तैयार किये गये कार्यवृत्त को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित करते हुए एवं तद्नुसार इस संबंध में परिषद को **SHARP SIGHT EYE HOSPITAL, Ambrosia Heights 1089 Civil Lines, Elite Sipri Road, Near Income Tax Building, Jhansi(UP)** {शार्प साइट हॉस्पिटल, एम्ब्रॉसिया हाइट्स 1089, सिविल लाइन्स, इलाईट सीपरी रोड, नियर इनकम टैक्स बिल्डिंग, झाँसी(उ0प्र0), संस्थान के स्टॉफ एवं उनके आश्रितों को सी.जी.एच.एस. की अनुमोदित दरों पर मेडिकल अटेंडेंस एवं उपचार के बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग की सुविधाऐं प्रदान कराये जाने के संबंध में भेजे गये प्रस्ताव को परिषद द्वारा अनुमोदित करते हुए पत्र संख्या CS/16/5/2024-FFC(e.no. 335477) दिनांकः 09.10.2024 के माध्यम से इस प्रयोजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उपरांकित चिकित्सालय से दिनांक 27.12.2024 को इस संबंध में निर्धारित की गयी शर्तों के अनुसार एम.ओ.यू. किया जा चुका है।

अतः संस्थान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस चिकित्सालय से चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ निम्नलिख्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने पश्चात प्राप्त कर सकते हैं।

1. शार्प साइट हॉस्पिटल, एम्ब्रॉसिया हाइट्स 1089, सिविल लाइन्स, इलाईट सीपरी रोड, नियर इनकम टैक्स बिल्डिंग, झाँसी(उ0प्र0) से स्वयं की मेडिकल अटेंडेंस/उपचार की सुविधा (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग दोनों के संबंध में) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी अपने स्वयं के परिचय-पत्र को अस्पताल की संबंधित डेस्क पर प्रस्तुत करने के पश्चात प्राप्त कर सकते हैं।
2. पारिवारिक आश्रितों को इन चिकित्सालयों से सुविधाऐं प्राप्त कारने हेतु संस्थान के स्थापना अनुभाग से अगल से परिचय पत्र का प्रारूप वांछित दिशा-निर्देशों सहित परिपत्रित किया जायेगा।
3. संस्थान के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को मेडिकल अटेंडेंस/उपचार इत्यादि की सुविधाऐं सी.जी.एच.एस की अनुमोदित दरों पर संबंधित अस्पतालों को उपचार के पूर्व भुगतान करने के आधार पर प्राप्त हो सकेंगी जिसकी वापसी का भुगतान उन्हें सी.जी.एच.एस/सी.एस(एम.ए) की दरों एवं वास्तविक व्यय, में से जो भी कम धनराशि होगी, की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जायेगी।
4. यदि किसी भी स्टॉफ अथवा उसके पारिवारिक आश्रित को इन अस्पतालों में भर्ती(IPD मरीज हेतु) करना पडता है तो इसकी सूचना संस्थान प्रशासन को देना आवश्यक होगा एवं यह सुविधा पूर्णतः कैश-लैश होगी।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

कार्यालयाध्यक्ष
9.1.2025

वितरणः

1. सभी विभागाध्याक्षों/परियोजना समन्यवयक(चारा फसलें)/वरि.वित्त एवं लेखाधिकारी/सभी अनुभागों के सहा0 प्रशा0 अधिकारीगण/सभी इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों के इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने विभाग/अनुभाग/इकाई में कार्यरत् सभी स्टॉफ को परिपत्रित करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, शार्प साइट हॉस्पिटल, एम्ब्रॉसिया हाइट्स 1089, सिविल लाइन्स, इलाईट सीपरी रोड, नियर इनकम टैक्स बिल्डिंग, झाँसी(उ0प्र0)
3. संस्थान बेवसाइट एवं ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड।